"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 10, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2017

अधिसूचना

का. आ. 2208 (अ).— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभाव्यता है;

और रेखांक संख्या आरवीयूएन/पीसीबी/सीबीए/4/1, तारीख 23 मई, 2017 का जिसमें उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि क्षेत्र के ब्यौरे का निरीक्षण, मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची-834031, झारखंड के कार्यालय में या अपर मुख्य अभियंता (ईंधन)/उप मुख्य अभियंता-ईंधन/उप मुख्य अभियंता-कोयला, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)-302005 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टरों, जिला सूरजपुर और जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) कार्यालयों में किया जा सकता है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति :-

(i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन का आक्षेप कर सकेगा; या

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई क्षति या सम्भावित क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी नुकसानी के लिये प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन समाप्त हो गये खनन पट्टे के लिये प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये उक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अपर मुख्य अभियंता - ईंधन या उप मुख्य अभियंता - ईंधन या उप मुख्य अभियंता - कोयला, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) - 302005 को सौंपेगा.

अनुसूची

परसा कोयला ब्लाक
जिला - सरगुजा और सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

(रेखांक संख्या आरवीयूएन/पीसीबी/सीबीए/4/1, तारीख 23 मई, 2017)

(क) राजस्व भूमि :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	पटवारी सर्किल/ हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	तारा	29	17	प्रेमनगर	सुरजपुर	84.490	भाग
2.	जनार्दनपुर	30	11	प्रेमनगर		67.666	भाग
					कुल	162.156	
3.	फतेहपुर	66	17	उदयपुर	सरगुजा	196.555	भाग
4.	घाटबर्रा	67	17	उदयपुर		8.985	भाग
5.	हरिहरपुर	65	16	उदयपुर		147.828	भाग
6.	साल्ही	64	16	उदयपुर		180.919	भाग
					कुल	534.287	
					कुल जोड़	696.443	

कुल : 696.443 हेक्टेयर (लगभग) या 1720.91 एकड़ (लगभग)

(ख) आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि :

क्रम सं. (1)	वन भूमि का प्रकार (2)	वन सर्किल (3)	वन मंडल और जिला (4)	परिक्षेत्र/ तहसील (5)	कंपार्टमेंट संख्या (6)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (7)	टिप्पणियां (8)
1.	आरक्षित वन भूमि	सरगुजा सर्किल, अंबिकापुर	सुरजपुर	रामानुजनगर/ प्रेमनगर	1982	124.748	भाग
2.	आरक्षित वन भूमि			रामानुजनगर/ प्रेमनगर	1981	12.483	भाग
3.	संरक्षित वन भूमि			रामानुजनगर/ प्रेमनगर	पी-1986	37.209	भाग
4.	संरक्षित वन भूमि			रामानुजनगर/ प्रेमनगर	पी-1997	11.109	भाग
					कुल	185.549	
5.	संरक्षित वन भूमि	सरगुजा सर्किल, अंबिकापुर	सरगुजा	उदयपुर	पी-2006	298.496	सम्पूर्ण
6.	संरक्षित वन भूमि			उदयपुर	पी-2005	50.63	भाग
7.	संरक्षित वन भूमि			उदयपुर	पी-1998	21.329	भाग
					कुल	370.455	
					कुल जोड़	556.004	

कुल : 556.004 हेक्टेयर (लगभग) या 1373.88 एकड़ (लगभग)

कुल जोड़ (क+ख) = 1252.447 हेक्टेयर (लगभग) (696.443 + 556.004) या

3094.79 एकड़ (लगभग) (1720.91 + 1373.88)

सीमा वर्णन :

ज-क : रेखा, बिन्दु 'ज' ग्राम जनार्दनपुर से आरंभ होती है और ग्राम साल्ही के मध्य में बिन्दु 'क' पर मिलती है.

क-ख : रेखा, बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम हरिहरपुर ग्राम के मध्य से होती हुई घाटबर्रा ग्राम के पश्चिमी सीमा के निकट बिन्दु 'ख' पर मिलती है.

ख-ग : रेखा, बिन्दु 'ख' से आरंभ होती है और ग्राम फतेहपुर के मध्य भाग से होती हुई ग्राम तारा के पूर्वी सीमा के निकट बिन्दु 'ग' पर मिलती है.

ग-घ-ङ-च-छ-ज : रेखा, बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और तारा ग्राम के पूर्वी सीमा के निकट बिन्दु 'घ' पर मिलती है, रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और तारा ग्राम के पूर्वोत्तर सीमा के निकट बिन्दु 'ङ' पर मिलती है, रेखा बिन्दु 'ङ' से आरंभ होती है एवं जनार्दनपुर ग्राम के दक्षिणी सीमा

के निकट बिन्दु 'च' पर मिलती है, रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है एवं जनार्दनपुर ग्राम के दक्षिण पूर्वी सीमा के निकट बिन्दु 'छ' से मिलती है और रेखा बिन्दु 'छ' से आरंभ होती है और जनार्दनपुर ग्राम के मध्य में बिन्दु 'ज' से मिलती है.

[फा.स. 43015/28/2017-एलए एण्ड आई आर]

हस्ता./-

(विवेक भारद्वाज)
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 12th July 2017

NOTIFICATION

S.O. 2208(E) - Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number RVUN/PCB/CBA/4/1, dated the 23rd May, 2017 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834 031, Jharkhand or at the office of the Additional Chief Engineer-Fuel/Deputy Chief Engineer-Fuel/Deputy Chief Engineer-Coal, Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Regd. Office and H.O. Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur (Rajasthan) - 302005 or at the office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or at the office of District Collectors, District Surajpur and Surguja (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the said Schedule;

Any persons interested in the land described in the aforesaid Schedule may -

(i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in over such land; or

(ii) claim compensation under Section 6 of the said Act for any damaged caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of Section 4 thereof; or

(iii) claim compensation under sub-Section (1) of Section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of Section 13 of the said Act,

to the officer of the Additional Chief Engineer-Fuel or Deputy Chief Engineer-Fuel or Deputy Chief Engineer-Coal, Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Regd. Office and Head Office Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur (Rajasthan) - 302005 within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Parsa Coal Block
Districts Surguja and Surajpur (Chhattisgarh)

(Plan bearing number RVUN/PCB/CBA/4/1, dated the 23rd May, 2017)

(A) Revenue Land :

Sl. No.	Name of the Village	Village No.	Patwari Circle/Halka No.	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tara	29	17	Premnagar	Surajpur	94.490	Part
2.	Janardanpur	30	11	Premnagar		67.666	Part
					Total :	162.156	
3.	Fatehpur	66	17	Udaipur	Surguja	196.555	Part
4.	Ghatbarra	67	17	Udaipur		8.985	Part
5.	Hariharpur	65	16	Udaipur		147.828	Part
6.	Sahi	64	16	Udaipur		180.919	Part
					Total :	534.287	
					Grand Total :	696.443	

Total : 696.443 hectares (approximately) or 1720.91 acres (approximately)

(B) Protected and Reserved Forest Land :

Sl. No.	Type of Forest	Forest Circle	Forest Division and District	Range/ Tahsil	Compartment number	Area in hectares	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Reserved Forest	Surguja Circle, Ambikapur	Surajpur	Ramanujnagar/ Premnagar	1982	124.748	Part
2.	Reserved Forest			Ramanujnagar/ Premnagar	1981	12.483	Part
3.	Protected Forest			Ramanujnagar/ Premnagar	P-1986	37.209	Part
4.	Protected Forest			Ramanujnagar/ Premnagar	P-1997	11.109	Part
					Total :	185.549	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Protected Forest	Surguja Circle, Ambikapur	Surguja	Udaipur	P-2006	298.496	Full
6.	Protected Forest			Udaipur	P-2005	50.63	Part
7.	Protected Forest			Udaipur	P-1998	21.329	Part
					Total :	370.455	
				Grand Total :		556.004	

Total : 556.004 hectares (approximately) or 1373.88 acres (approximately)

Grand Total (A+B) = 1252.447 hectares (approximately) (696.443+556.004)
or
3094.79 acres (approximately) (1720.91+1373.88)

Boundary discription :

H-A : Line starts from point 'H' in Janardanpur village and meets at point 'A' in the middle of the Salhi village.

A-B : Line starts from point 'A' and passes through middle of the Hariharpur village and meets at point 'B' near the western boundary of Ghatbara village.

B-C : Line starts from point 'B' and passes through middle of the Fatehpur village and meets at point 'C' near the eastern boundary of Tara village.

C-D-E-F-G-H : Line starts from point 'C' and meets at point 'D' near the north eastern boundary of Tara village. And Line starts from point 'D' and meets at point 'E' near the north eastern boundary of Tara village. And line starts from point 'E' and meets at point 'F' near the southern boundary of Janardanpur village. And line starts from point 'F' and meets at point 'G' near the south eastern boundary of Janardanpur village. And line starts from at point 'G' and meets at point 'H' in the middle of Janardanpur village.

[F. No. 43015/28/2017-LA&IR]

Sd/-

(Vivek Bharadwaj)
Joint Secretary to the
Government of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017